



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4835] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 8, 2018/अग्रहायण 17, 1940
No. 4835] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 8, 2018/AGRAHAYANA 17, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2018

का.आ. 6065(अ).—यतः, मै. स्टेट इण्डस्ट्रीज प्रमोशन कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड ने तमिलनाडु राज्य में स्टेट इण्डस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर के स्टेट इण्डस्ट्रीज प्रमोशन कारपोरेशन, श्रीपेरुम्बदूर तालूक, कांचीपुरम जिले में व्यापार एवं सम्भार तंत्र संबंधी प्रचालनों सहित इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और संबंधित सहायक सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और, यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 140.755 हेक्टेयर के क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अधिसूचना संख्या का.आ. 1784(अ) दिनांक 18 अक्टूबर, 2007 द्वारा अधिसूचित किया था;

और यतः, मै. स्टेट इण्डस्ट्रीज प्रमोशन कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से 7.111 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, तमिलनाडु सरकार ने उनके पत्र सं. 962/एम आई ई.2/2015-7 दिनांक 15.06.2018 के तहत प्रस्ताव को सहमति दे दी है;

और यतः, विकास आयुक्त, मेप्पल विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 7.111 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त विशेष आर्थिक जोन में से 7.111 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 133.644 हेक्टेयर हो जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात्:—

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्रम. सं.	गाँव का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1.	वल्लम	455 पार्ट	0.049
2.		458 पार्ट	2.861
3.		460 पार्ट	0.101
4.	माथुर	412 पार्ट	0.226
5.		414 पार्ट	0.121
6.		415 पार्ट	0.933
7.		416 पार्ट	0.535
8.		417 पार्ट	0.887
9.		418 पार्ट	0.405
10.		429 पार्ट	0.393
11.		430 पार्ट	0.554
12.		431 पार्ट	0.046
कुल			7.111
उपयुक्त घटाव के पश्चात एसईजेड का कुल शेष क्षेत्रफल			133.644

[फा. सं. एफ. 2/717/2006—एसईजेड]

बी. बी. स्वेन, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 2018

S.O. 6065(E).—Whereas, M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Sector Specific SEZ for electronic hardware and related support services including trading and logistics operations at State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Industrial Growth Centres, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District, in the State of Tamil Nadu;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 140.755 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 1784(E) dated 18th October, 2007;

AND, WHEREAS, M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited has now proposed for de-notification of 7.111 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Tamil Nadu has given its approval to the proposal vide letter No. 962/MIE.2/2015-7 dated 15.06.2018;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, MEPZ Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 7.111 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby **de-notifies an area of 7.111 hectares**, thereby making resultant area of the Special Economic Zone as **133.644 hectares**, comprising the survey numbers and the areas given below in the table, namely:-

TABLE FOR DELETION AREA

Sl.No.	Name of Village.	Survey No.	Area in hectares
1.	Vallam	455 Pt.	0.049
2.		458 Pt.	2.861
3.		460 Pt.	0.101
4.	Mathur	412 Pt.	0.226
5.		414 Pt.	0.121
6.		415 Pt.	0.933
7.		416	0.535
8.		417 Pt.	0.887
9.		418 Pt.	0.405
10.		429 Pt.	0.393
11.		430 Pt.	0.554
12.		431 Pt.	0.046
	Total		7.111
	Grand total area of SEZ after above deletion		133.644

[F. No. F. 2/717/2006-SEZ]

B. B. SWAIN, Addl. Secy.